न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 16/2017

अपीलांट

घमण्डाराम पुत्र ठाकराराम
जाति जाट निवासी लीलाला
बायतु पनजी तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेटस

1. कल्लाराम पुत्र ठाकराराम
2. मगाराम पुत्र ठाकराराम
3. मु.चंपादेवी पत्नी ठाकराराम
4. पीराराम पुत्र भोजाराम
5. गोकलाराम पुत्र भोजाराम
6. नारणाराम पुत्र जीयाराम
7. निंबाराम पुत्र देवाराम
8. गंगाराम पुत्र देवाराम
9. नगाराम पुत्र देवाराम
10. खंगाराराम पुत्र देवाराम
11. खरथाराम पुत्र देवाराम
12. हिमथाराम पुत्र खेमाराम
13. हरदानराम पुत्र खेमाराम
14. जोगाराम पुत्र खेमाराम
15. मु. पनी पत्नी खेमाराम
16. नरसिंगाराम पुत्र दीपाराम
17. रामचन्द पुत्र दीपाराम
18. धर्माराम पुत्र दीपाराम
19. मु. वरजूदेवी पत्नी दीपाराम
20. रूखी पत्नी अचलाराम
21. पुरखाराम पुत्र विशनाराम
22. रतनाराम पुत्र विशनाराम के कायम मुकाम–

22/1 गेरो देवी पत्नी रतनाराम
22/2 चुतराराम पुत्र रतनाराम

23. उदाराम पुत्र विशनाराम
24. मु. मीरो पत्नी विशनाराम
25. जगूराम पुत्र कालुराम
26. खींयाराम पुत्र कालुराम
27. हीराराम पुत्र कालुराम

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

28. चनणाराम पुत्र कालुराम
29. मु. अणदू पत्नी कालुराम
    जाति जाट निवासी लीलाला
    तहसील बायतु जिला बाड़मेर
30. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार
    बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 22.12.2004 द्वारा तहसीलदार बायतु।

उपस्थित– 1. अपीलांट मय अधिवक्ता श्री नरपत पूनड़ व श्री मोहनलाल पूनड़ उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 29 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 30 की ओर से भू.अ. निरीक्षक उपस्थित।

आदेश दिनांक 30.05.2018

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 553 मौजा बायतु पनजी एवं खसरा नंबर 260, 261, 295, 296, 297, 297/2, 302, 384 व 385 मौजा लीलाला तहसील बायतु में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 29 का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है। तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी बाहामी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है। तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियां बनाई हुई है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29 ने आपसी सहमति से माकिफ बाहामी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार जोतो का विभाजन करवाने हेतु प्रस्ताव रखा, जिसे अपीलांट द्वारा सहमति दी गई, परन्तु उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा अपीलांट की सहमति अनुसार पेश नही कर हल्का पटवारी के साथ मिलकर अपीलांट की बगैर जानकारी के तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2004 पारित करवाया गया। उक्त विभाजन के साथ ही खसरा नंबर 262, 263, 265 व 299 का भी विभाजन करवाया गया जबकि उक्त खसरों का विभाजन प्रस्ताव में उल्लेख भी नहीं था। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न्याय आपके द्वार राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। अपीलांट मय वकील उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29 उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 30 की ओर से भू.अ.निरीक्षक उपस्थित।

3. हमने उभय पक्षो को सुना। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट की स्थाई रहवासी ढाणियॉ व स्थाई पानी के टांके व पशुओं के बाड़े अपीलाधीन विभाजन आदेश के जरिये रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29 के हक में रखे गये, जिससे अपीलांट के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। तथा जिन खसरा नंबरों का उल्लेख विभाजन आवेदन पत्र में नहीं था उन खसरों का भी बंटवाड़ा कर दिया गया। बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया हैं। सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 19.12.2016 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश पारित करावें।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29 के द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 553 मौजा बायतु पनजी एवं खसरा नंबर 260, 261, 295, 296, 297, 297/2, 302, 384 व 385 मौजा लीलाला पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त कब्जा काश्त है। तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी बाहामी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है। उक्त आराजी का विभाजन आदेश केम्प में बैठकर किया गया है, मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया है एवं न ही प्रस्ताव तैयार किया गया हैं, जिसकी

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

वजह से सभी खातेदारान के रहवासी ढाणियॉ, टांके सहित फेर बदल हो गये है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा कर तरमीम की जाती हैं, तो रेस्पोडेंटस को कोई आपत्ति नहीं है।

5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29 द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 22.12.2004 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 553 मौजा बायतु पनजी एवं खसरा नंबर 260, 261, 295, 296, 297, 297/2, 302, 384 व 385 मौजा लीलाला तहसील बायतु में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29 का संयुक्त कब्जा काश्त है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 29 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से पारित विभाजन में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। तथा खसरा नंबर 262, 263, 265 व 299 का उल्लेख विभाजन प्रस्ताव में नहीं होने पर भी राजस्व रिकार्ड में इन खसरो का भी विभाजन दर्शाया गया। इससे यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2004 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बायतु को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में दिनांक 30.5.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)